भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1049
08 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023

1049. डॉ. पोन गौतम सिगामणि:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री भोला सिंह:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का भेषजी अधिनियम, 1948 और मौजूदा भारतीय भेषजी परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना के लिए प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य देशभर में भेषजी पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली फार्मेसी शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कदम का उद्देश्य भारत के लिए भेषजी रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा के साथ-साथ भेषजी संस्थानों के आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन को सुनिश्चित करते हुए सभी नागरिकों के लिए भेषजी सेवाओं को सुलभ बनाकर न्यायसंगत स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि विधेयक पेशेवरों को नवीनतम अनुसंधान को अपने काम में एकीकृत करने, अनुसंधान में योगदान देने और उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उपरोक्त पर जनता और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे; और

(च) देश में भेषजी शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसके मानक को बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 का मसौदा विधायी-पूर्व परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

(च): भारतीय फार्मेसी परिषद देश में फार्मेसी शिक्षा का विनियामक निकाय है। फार्मेसी शिक्षा को फिर से मजबूत करने और देश में इसके स्तर को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

i. पाठ्यक्रम की अवधि, न्यूनतम योग्यता और अन्य विशिष्टताओं को परिभाषित करने के लिए स्नातक फार्मेसी शिक्षा विनियम, 2014 और स्नातक फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2014 अधिसूचित किए गए थे।

ii. फार्मेसी पेशे के दायरे और प्रैक्टिस को परिभाषित करने के लिए फार्मेसी प्रैक्टिस विनियम, 2015 को अधिसूचित किया गया था।

iii. फार्मेसी एग्जिट परीक्षा डिप्लोमा विनियम, 2022 को 24 फरवरी 2022 को अधिसूचित किया गया था।

iv. मंत्रालय ने दिनांक 24-11-2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारतीय फार्मेसी परिषद को संकाय और छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति लेने के लिए 'आधार' प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया है।

******